न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 100/2013 (उदयपुर डिक्री)

1. श्री गोवर्धनलाल पिता श्री नारायण लाल जी निवासी उमरड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री मनोहरलाल पिता श्री नारायण लाल जी निासी उमरड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
3. श्री दुर्गाशंकर पिता श्री नारायणलाल जी निवासी उमरड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर के बजाय :–

   3/1– श्रीमती अम्बा पालीवाल पत्नी स्व. श्री दुर्गाशंकर जी पालीवाल निवासी चित्तोड़गढ़ (राज0)

   3/2– विनोद पालीवाल पिता स्व. श्री दुर्गाशंकर जी पालीवाल निवासी चित्तोड़गढ़ (राज0)

   3/3– श्री विभुर पालीवाल पिता स्व. श्री दुर्गाशंकर जी पालीवाल निवासी चित्तोड़गढ़ (राज0)

   3/4– श्रीमती शीतल पालीवाल पुत्री स्व. श्री दुर्गाशंकर जी पालीवाल पत्नी निर्मल मेनारिया निवासी 201 शिवा अपार्टमेन्ट नयापुरा लालघाटी भोपाली (म.प्र.)
4. श्री नरेन्द्र कुमार पिता श्री नारायण जी निवासी उमरड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)

.... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री गजेन्द्र माण्डोता पिता स्व. श्री मदनलाल जी माण्डोता निवासी 46/5, अशोग नगर उदयपुर (राज0)
2. श्रीमती सुरेखा पत्नी श्री गजेन्द्र माण्डोत निवासी 46/5, अशोक नगर उदयपुर (राज0)
3. श्री प्यारेलाल पिता श्री तुलसीराम जी निवासी उमरड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
4. श्री नवरतन पिता श्री तुलसीराम जी निवासी उमरड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)

5. श्री अशोक कुमार पिता नारायण लाल जी निवासी उमरड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
6. श्रीमती लक्ष्मी देवी पिता नारायण लाल जी निवासी उमरड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0) के बजाय :—

   6/1— श्री आदेश कुमार जोशी पिता श्री कमलाकान्त जोशी निवासी 12 न्यू अशोक नगर विहार गली नंबर 9, चन्दन बाड़ी उदयपुर

   6/2— श्री हरिशंकर जोशी पता श्री कमलाकान्त जोशी निवासी 12 न्यू अशोक नगर विहार गली नंबर 9, चन्दन बाड़ी उदयपुर

   6/3— श्री महेश जोशी पिता श्री कमलाकान्त जोशी निवासी 12 न्यू अशोक नगर विहार गली नंबर 9, चन्दन बाड़ी उदयपुर

   6/4— श्रीमती प्रेमलता जोशी पत्नी प्रेमप्रकाश जोशी पुत्री श्री कमलाकान्त जोशी निवासी 12 न्यू अशोक नगर विहार गली नंबर 9, चन्दन बाड़ी उदयपुर

   6/5— श्रीमती प्रभा जोशी पत्नी श्री ओमप्रकाश जोशी पुत्री री कमलाकान्त निवासी 12 न्यू अशोक नगर विहार गली नंबर 9, चन्दन बाड़ी उदयपुर

7. श्रीमती बीना देवी पिता नारायण लाल जी निवासी उमरड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
8. श्री शंकरलाल पिता श्री जगन्नाथ जी निवासी उमरड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
9. श्री दुर्गाशंकर पिता श्री जगन्नाथ जी निवासी उमरड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
10. श्री कृष्ण गोपाल पता श्री जगन्नाथ जी निवासी उमरड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
11. श्री शान्तिलाल पिता श्री जगन्नाथ जी निवासी उमरड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
12. श्री दिलीप पिता श्री जगन्नाथ जी निवासी उमरड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
13. प्रेमलता पिता श्री जगन्नाथ जी निवासी उमरड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)

14. श्रीमती सुन्दरबाई त्नी जगन्नाथ जी निवासी उमरड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
15. श्री मोड़ीलाल पिता नाथूलाल जी निवासी उमरड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
16. श्री निशान्त पिता स्व. राजकुमार नाबालिग बवलायत संरक्षक माता श्रीमती अनुपमा पत्नी स्व. राजकुमार निवासी उमरड़ा तहसील गिर्या जिला उदयपुर
17. श्रीमती अनुपमा पत्नी स्व. राजकुमार निवासी उमरड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
18. श्री मोहनलाल पिता हीरालाल निवासी उमरड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
19. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
20. श्री अशोक कुमार पिता मोड़ीरलाल पालीवाल निवासी रेल्वे स्टेशन के पास उमरड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
21. श्री धर्मेन्द्र कुमार पिता श्री मोड़ीलाल पालीवाल निवासी रेल्वे स्टेशन के पास उमरड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)

.... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा दिनांक 10–07–2013 प्रकरण संख्या 38/2012 राजस्व वाद

————

उपस्थित :–1– श्री चांदमल सांखला अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– श्री हर्षद जोशी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 व 2
3– श्री महेश भट्ट अभिभाषक रेस्पोन्ट संख्या–3
4– श्री लक्ष्मीलाल जैन अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 व 6, 8 से 13 व 18
5– रेस्पोन्डेन्ट संख्या–5 स्वयं

——————/——————

निर्णय **दिनांक 29–05–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 2 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध धारा–53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम उमरड़ा में वादपत्र की कलम संख्या–1 वर्णित

कूल आराजीयात किता–19 करबा 2.205 हैक्टर भूमि स्थित है। जिसमें वादी संख्या 1 का 1/14 तथा वादिया संख्या 2 का 1/14 हिस्सा है तथा वादीगणों का कूल हिस्सा 1/7 है। भूमियों का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतः विवादित विभाजन करवाया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा दिलवाई जाय। प्रकरण में दिनांक 19–12–2012 को सहमति आधार पर प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर अपीलान्ट द्वारा आपत्ति भी प्रस्तुत की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 10–7–2013 को अपीलान्ट प्रतिवादी की आपत्ति खारिज करते हुए प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री पारित कर दी। जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी द्वारा यह अपील इस सन्यायालय मं दिनांक 17–9–2013 को पेश की।

नकल दिये जाने में विलम्ब के दृष्टिगत अपील अन्दर मयाद शुमार की जाकर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 व 2 की और से अधिवक्त हर्षद जोशी, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की और से अधिवक्ता श्री महेश कुमार भट्ट, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 18 की और से अधिवक्ता श्री लक्ष्मीलाल जैन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–5 स्वयं उपस्थित हुए परन्तु अंतिम बहस मं उपस्थित नहीं हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट सिवाय रेस्पोन्डेन्ट संख्या–19 जिनकी और से जी. उपस्थित है, अनुपस्थित रहे।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है, क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी पक्षकार को सूचना पत्र जारी नहीं किया तथा अनाधिकृत व्यक्ति पटवारी द्वारा तैयार मनमकसूद रिपोर्ट के आधार पर अंतिम डिक्री पारित कर दी। सड़क/रास्ता भी अनाधिकृत दिया गया है।

अपीलान्ट ने अपने समर्थन में निम्नानुसार न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की है :–

1. R R D 1994 Page 437
2. R R D 2011 (2) Page 1095
3. R R T 2014 Page 258
4. R R D 1986 Page 583
5. R R D 1994 Page 437
1. R R D 1996 Page 164

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि तहसीलदार द्वारा सभी सह–खातेदारान को नोटिस नहीं जारी किये गये है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अधिकृत तहसीलदार के स्थान पर उसके द्वारा अपनी शक्तियां उप–प्रत्यायोजित कर पटवारी द्वारा पर्चा मौका/तैयार बंटवारा को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आपत्तियों का विधिक निस्तारण किये बिना अंतिम डिक्री जारी की है।

उपरोक्तानुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 1.0–07–2013 अपास्त की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में हस्ब डिक्री संबंधित तहसीलदार को निर्दिष्ट करे कि सभी सह–खातेदारों को सूचना पत्र जारी कर स्वयं विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करे तथा उक्त विभाजन प्रस्तावों पर यदि कोई प्राप्त होती हो तो उभयपक्षों को सुनकर उसका विधिक निस्तारण कर अंतिम डिक्री जारी करें। पक्षकारा अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 30–7–2018 को उपस्थित होवें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29–05–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.** ....मुकाम .... **उदयपुर** व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

1–श्री अनिल कोठारी पिता श्री गेहरीलाल जी कोठारी निवासी 1–डी माछला मगरा स्कीम तहसील गिर्वा उदयपुर अन्य–1	बनाम	**1– श्री अमरचन्द पिता श्री तेजा जी डांगी निवासी दरोली तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर अन्य–6**

अपील नं0 **07/2014** बनाराजगी डिगरी अदालत............ **उपखण्ड अधिकारी** .... **वल्लभनगर........** मुकाम मुक्र्खे...........**24**..........माह.............**12**................ **2012**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ......**19**..... माह ......**04**.......... सन् **2018** रूबरू............ पक्षकारान व हाजरी....**श्री पन्नालाल मारू** .... मिनजानिब अपीलान्ट व .. ..**श्री डी. सी. पोखरना** .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24–12–2012 अपास्त किया जाता है तथा रेस्पोन्डेन्ट वादीगण के पक्ष में की गई घोषणा को निरस्त किया जाता है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये.......... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख ....**19**...... माह ...**04**........ **2018** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा .... 3. वकील फीस बाबत .... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।